



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239279
CG-DL-E-01102022-239279

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4434]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4434]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

का.आ. 4642(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2943(अ) तारीख 29.06.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बि डि पि एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट								
धामरा-अनगुल पाइपलाइन (सेक्सन - 2A)								
अनुसूची								
राज्य - ओड़िशा								
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल				
				अधिसूचित क्षेत्र			संशोधित क्षेत्र	
				हेक्टर आर वर्गमिटर			हेक्टर आर वर्गमिटर	
ढेन्कानाल	भुवन	असुरबंध	2160	00	13	65	00	10 71
			2161	-	-	-	00	01 64
			2154	-	-	-	00	01 89
			2159	00	02	55	00	00 13
			2157	00	00	81	00	06 83
			2155	-	-	-	00	00 05
			2156	-	-	-	00	00 52
			2158	00	04	38	00	01 71
			2151	-	-	-	00	00 23
			2150	00	00	41	00	11 65
			2091	00	00	39	00	03 92
			2181	-	-	-	00	01 74
			2182	-	-	-	00	00 51
			2183	-	-	-	00	02 59
			2090	00	05	48	00	02 32
			2184	-	-	-	00	01 64
			2089	00	05	03	00	03 61
			2185	-	-	-	00	00 39
			2088	00	05	08	00	06 03

			2328	-	-	-	00	00	47
			2087	00	19	69	00	20	47
			2096	00	00	68	00	00	26
			2139	00	08	25	00	00	67
			2148	00	18	32	00	04	08
			2149	-	-	-	00	02	76
ढेन्कानाल	भुवन	जयपुर	825	00	14	58	00	14	74
			826	00	00	55	00	00	46
			909	00	01	94	00	02	21
			929	00	01	06	00	00	28
			827	00	01	30	00	01	54
			930	00	02	24	00	01	67
			828	00	02	21	00	03	07
			829	00	00	85	00	01	77
			838	00	02	40	00	02	39
			840	00	01	39	00	00	36
			830	00	00	21	00	01	31
			931	00	02	25	00	02	52
			831	-	-	-	00	00	57
			832	-	-	-	00	00	53
			833	-	-	-	00	00	48
			834	-	-	-	00	00	22
			835	-	-	-	00	00	05
			837	00	00	29	00	02	95
			839	00	03	43	00	04	16
			841	00	03	64	00	02	15
			845	00	03	15	00	00	70

[फा. सं. एल-14014/133/2022-जीपी-II(ई-43344)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2022

S.O. 4642(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 2943(E) dated 29.06.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

encumbrances.

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT DHAMRA ANGUL PIPELINE (SECTION-2A)									
SCHEDULE									
STATE: ODISHA									
DISTRICT	TAHASIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA					
				NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
				HECT.	ARE	SQ. MTR.	HECT.	ARE	SQ. MTR.
DHENKANAL	BHUBAN	ASURABANDHA	2160	00	13	65	00	10	71
			2161	-	-	-	00	01	64
			2154	-	-	-	00	01	89
			2159	00	02	55	00	00	13
			2157	00	00	81	00	06	83
			2155	-	-	-	00	00	05
			2156	-	-	-	00	00	52
			2158	00	04	38	00	01	71
			2151	-	-	-	00	00	23
			2150	00	00	41	00	11	65
			2091	00	00	39	00	03	92
			2181	-	-	-	00	01	74
			2182	-	-	-	00	00	51
			2183	-	-	-	00	02	59
			2090	00	05	48	00	02	32
			2184	-	-	-	00	01	64
			2089	00	05	03	00	03	61
			2185	-	-	-	00	00	39

			2088	00	05	08	00	06	03
			2328	-	-	-	00	00	47
			2087	00	19	69	00	20	47
			2096	00	00	68	00	00	26
			2139	00	08	25	00	00	67
			2148	00	18	32	00	04	08
			2149	-	-	-	00	02	76
DHENKANAL	BHUBAN	JAYPUR	825	00	14	58	00	14	74
			826	00	00	55	00	00	46
			909	00	01	94	00	02	21
			929	00	01	06	00	00	28
			827	00	01	30	00	01	54
			930	00	02	24	00	01	67
			828	00	02	21	00	03	07
			829	00	00	85	00	01	77
			838	00	02	40	00	02	39
			840	00	01	39	00	00	36
			830	00	00	21	00	01	31
			931	00	02	25	00	02	52
			831	-	-	-	00	00	57
			832	-	-	-	00	00	53
			833	-	-	-	00	00	48
			834	-	-	-	00	00	22
			835	-	-	-	00	00	05
			837	00	00	29	00	02	95
			839	00	03	43	00	04	16
			841	00	03	64	00	02	15
			845	00	03	15	00	00	70

[F. No. L-14014/133/2022-GP-II (E-43344)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.